

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्य प्रदेश

क्रमांक / सू0अ0 / सेल-2 / एफ-3396 / 2016 / 186
प्रति,

भोपाल दिनांक 8 / 02 / 2016

- 1 प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
संचालक, आर0सी0एच0 / एन0एच0एम0
अरेरा हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश।
- 2 प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल / इन्दौर / रीवा / सागर / ग्वालियर / जबलपुर / उज्जैन
मध्य प्रदेश।
- 3 अपर संचालक (वित्त)
भुगतान शाखा, स्थानीय कार्यालय।
- 4 लोक सूचना अधिकारी एवं
आर0सी0एच0 / एन0एच0एम0
अरेरा हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश
- 5 समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्य प्रदेश।
- 6 समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश।


विषय:—सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एन.जी.ओ. जिन्हे रू0 50000 /—से अधिक का भुगतान भारत शासन/राज्य शासन के फण्ड से किया जाता है उक्त संस्था को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाने के संबंध में निर्देश।
सन्दर्भ—संचालनालय की सूचना का अधिकार शाखा का पत्र क्रमांक 585 दिनांक 01.06.2015 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 831 दिनांक 31.07.2015 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 1034 दिनांक 02.09.2015 एवं पत्र क्रमांक 49 दिनांक 12.01.2016।

XXX

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28.01.2016 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुये कि ऐसी संस्थायें जिन्हें रू0 50000 /—से अधिक राशि का कार्य दिया गया है, उन संस्थाओं से संचालकको को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोनित करते हुये उनकी सूची वेबसाईट पर डालने हेतु निर्देश दिये गये है तथा आगामी सुनवाई तिथि 22.03.2016 नियत की गई है।

अतः अनिवार्य रूप से विभाग में कार्यरत NGO अथवा जिन संस्थाओं को रू0 50000 /—से अधिक राशि का कार्य/भुगतान दिया गया है की सूची एवं लोक सूचना अधिकारी मनोनित कर जानकारी 03 दिवस में अपने वेब साईट पर डालते हुये संचलनालय की सूचना का अधिकार शाखा के सहायक लोक सूचना अधिकारी डॉ0 एल0बी0 अस्थाना, के मेल asthana.lb@nic.in पर जानकारी तथा उसकी हार्ड कापी शीघ्र भेजा जाना सुनिश्चित करें।

समय सीमा में जानकारी प्राप्त नही होने की स्थिति में माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा कार्यवही किये जाने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


लोक सूचना अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

PTO

पृ0क्रंमाक/सू0अ0/सेल-2/एफ-3396/2016/
प्रेतिलिपि:-

भोपाल दिनांक /02/2016

- 5 श्री पराग करकरे, अवर सचिप, राज्य सूचना आयोग 35 बी, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक ए-3293/2011/मण्डला/आईसी-5/सूअ/1003 दिनांक 21.01.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 6 स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 7 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, जिला भोपाल म.प्र की ओर सूचनार्थ।
- 8 संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, जिला भोपाल म.प्र की ओर सूचनार्थ।

लोक सूचना अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश